भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 690**

(जिसका उत्तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

ऋण के पूर्व भुगतान के संबंध में दिशानिर्देश

690**. डां. प्रदीप कुमार बालमुचू:**

**श्रीमती रेणुका चौधरी:**

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या सरकार ने ऋण के पूर्व भुगतान के संबंध में दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और बैंकों को ऋण मोचन निषेध पर से पूर्व भुगतान/दण्‍ड शुल्‍क की वसूली रोकने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या हैं; और

(ग) इन दिशानिर्देशों के कार्यान्‍वयन का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

**(क) से (ग):-** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि दिनांक 05.06.2012 के उनके परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आवास ऋणों पर पुरोबन्‍ध प्रभार/पूर्व-भुगतान दंड न लगाने की सलाह दी गई थी। उपर्युक्‍त परिपत्र आरबीआई की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर उपलब्‍ध है।

\*\*\*\*\*